भारत सरकार

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

**राज्य सभा**

*तारांकित प्रश्न संख्या \*2.*

05.12.2013 को उत्तर के लिए

**तटीय विनियमन जोन (सी.आर.जेड.) संबंधी नर्इ अधिसूचना**

**में स्वीकृति प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया**

**\*2. श्री नतुजी हालाजी ठाकोर:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि तटीय विनियमन जोन संबंधी नर्इ अधिसूचना में स्वीकृति प्रदान किये जाने संबंधी प्रक्रिया तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों के भीतर स्थित परियोजनाओं की प्रदूषण संभावना पर आधारित है;

(ख) यदि हां, तो कम प्रदूषण संभावना वाली परियोजनाओं हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है और जिस पर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन संबंधी अधिसूचना (र्इ.आर्इ.ए.) के उपबंध लागू नहीं होते हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्य-सरकारों ने उन परियोजनाओं हेतु स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया में संशोधन करने का आग्रह किया है जिन पर केवल तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 के उपबंध लागू होते हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन)**

(क) और (घ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है ।

\*\*\*\*

**'तटीय विनियमन जोन (सी.आर.जेड.) संबंधी नर्इ अधिसूचना में स्वीकृति प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया' के संबंध में दिनांक 05.12.2013 को उत्तर के लिए श्री नतुजी हालाजी ठाकोर द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. \*2 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) और (ख) तटीय विनियमन जोन (सी.आर.जेड.) अधिसूचना, 2011 के पैरा 3 में सीआरजेड क्षेत्र में कुछ कार्यकलापों जैसे कि नए उद्योगों की स्थापना तथा विद्यमान उद्योगों के विस्तार, अशोधित अपशिष्टों के प्रवाह, खतरनाक रसायनों के भंडारण आदि पर कुछ शर्तों के साथ रोक लगाई गई है । सीआरजेड अधिसूचना के पैरा 4 द्वारा अनुमेय कार्यकलापों को विनियमित किया गया है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, पत्तनों एवं बंदरगाहों, जेटी, घाटों, अपरदन नियंत्रण उपायों, तरंग-रोध, लाइट हाऊसों जैसी तटाग्र सुविधाएं, परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित परियोजनाएं, पाइपलाइनें, भवन निर्माण आदि शामिल हैं । जहां तक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 में सूचीबद्ध नहीं किये गये अनुमेय कार्यकलापों का संबंध है, इनके लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति अपेक्षित है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता ।

\*\*\*\*